संख्याः 158 /XI/2018/56(22)2005

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 23 मार्च, 2018

विषयः– **उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर, (उधमसिंह नगर) के आवर्ती मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अवमुक्त की गई केन्द्रांश की अवशेष धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त करने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2752/5–लेखा–43(12–13)/उ.ग्रा.वि.सं./बजट/2017–18 दिनांकः 01.12.2017 द्वारा की गयी संस्तुति एवं भारत सरकार के आदेश सं0 जे–12037/01/2016–टीआरजी दिनांकः 02 नवम्बर, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास संस्थान हेतु आवर्ती मद हेतु अवमुक्त केन्द्रांश (50%) की अवशेष धनराशि रू0 5.22 लाख के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश (50%) की धनराशि रू0 5.22 लाख **(रू0 पांच लाख बाईस हजार मात्र)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्यय में योजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आयुक्त ग्राम्य विकास, पौड़ी द्वारा बैक ड्राफ्ट/ई–ट्रान्सफर के माध्यम से उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि संस्थान के केवल आवर्ती मदों पर ही नियमानुसार व्यय की जायगी। अन्य मदों पर उक्त धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
3. प्रश्नगत धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2018 तक किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रश्नगत योजना में निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से केन्द्रांश की पूर्व स्वीकृत किश्त की धनराशि के सापेक्ष यदि राज्यांश की अवशेष देयता हो, की नियमानुसार स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जाय।
5. उक्त योजना की धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मानकों का अनुपालन किया जाय।
7. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. मितव्ययतता के सम्वन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. धनराशि के दोहरे आहरण के लिये संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. प्रश्नगत धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यतानुसार मासिक व्यय की सारिणी बनाकर ही किया जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या–19 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–102–सामुदायिक विकास–01–/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0106–राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास संस्थान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्याः 183/XXVII–1/2012 दिनांकः 28 मार्च, 2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1803190437 दिनांक 21.03.2018 से जेनरेट कर एवं वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 247/वित्त–4/2018 दिनांक 20.03.2018 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः /XI/2018/56(22)2005, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, (ए.एण्ड.ई.), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर।
4. अनु सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5. अनु सचिव, नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

/

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 158 XI/18/56(22)2005

अलोटमेंट आई डी - S1803190437

अनुदान संख्या - 019

आवंटन पत्र दिनांक 21-Mar-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

1: लेखा शीर्षक 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00 -

102 - सामुदायिक विकास

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनधिानति योजना

06 - राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास संस्थान (अनुदान संख्या 06 से स्थानान्तरित)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	522000	522000
	0	**522000**	**522000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 522000